प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

आपराधिक कृत्यों से अर्जित करीब 37,19,000/- रुपये (सैंतीस लाख उन्नीस हजार रुपये) की सम्पत्ति कुर्क/जब्त

दिनांक 30.10.2022

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध आपराधिक कृत्यों से अर्जित संपत्ति के जब्तीकरण संबंधी चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना तंबौर पुलिस द्वारा दिनांक 29.10.2022 को जिलाधिकारी सीतापुर के आदेश पर **गोवंशीय पशुओ का अवैध कारोबार करने जैसे आपराधिक कृत्य द्वारा अर्जित की गयी संपत्ति को थाना तंबौर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 386/2019 धारा 2(b)(XV)/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत अभियोग में 14(1) यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट 1986 के तहत जब्त/कुर्क करने की कार्यवाही की गयी है। संपत्ति की कुल अनुमानित कीमत 37,19,000/- (सैतीस लाख उन्नीस हजार रुपये) आंकी गयी है।**

मु0अ0सं0 386/2019 धारा 2(b)(XV)/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त 1. अड्डन पुत्र जमील अहमद नि0 मो0 आजादनगर कस्बा व थाना तम्बौर जनपद सीतापुर 2. मोबिन पुत्र शमीउल्ला नि0 मो0 आजादनगर कस्बा व थाना तम्बौर जनपद सीतापुर 3.नूर आलम पुत्र महबूब आलम नि0 मो0 आजादनगर कस्बा व थाना तम्बौर जनपद सीतापुर 4. शादाब पुत्र अमीरउल्ला नि0 मो0 आजादनगर कस्बा व थाना तम्बौर जनपद सीतापुर द्वारा अपना एक संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गैंग के सदस्यों के माध्यम से आर्थिक एवम् भौतिक लाभ हेतु गोवंशीय पशुओ का अवैध कारोबार करने जैसे अपराध करने के अभ्यस्त अपराधी हैं।

अभियुक्तों के विरुद्ध उक्त अपराध के संबंध में पूर्व में अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्तगण की आय का कोई ज्ञात स्रोत नहीं था व इतनी पैतृक संपत्ति नहीं है कि जिसकी आमदनी से इतने अल्प समय में इतनी मूल्यवान जमीन खरीदी जा सके। अपराध से अर्जित संपत्ति का उपयोग एवम् उपभोग अभियुक्तगण एवम् उनके परिवारीजन द्वारा किया जा रहा था। विवेचना के दौरान धारा 14(1) गैंगेस्टर

एक्ट के अंतर्गत विवेचक द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय को साक्ष्य संकलित करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित की गयी। पुलिस द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा अपराध से अर्जित की गयी संपत्ति को जब्त करने का आदेश निर्गत किया।

जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में अभियुक्तगण उपरोक्त की निम्न संपत्ति को पुलिस एवम् प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जब्तीकरण/कुर्की की कार्यवाही पूर्ण की गयी। भविष्य में भी इस प्रकार के गैंगेस्टर अपराधियों के चिन्हीकरण और उनके द्वारा अर्जित की गयी अवैध सम्पत्तियों का चिन्हांकन कर उनकी जब्तीकरण की कार्यवाही प्रचलित रहेगी।

कुर्क की गयी सम्पत्ति का विवरणः-

- मो.आजादनगर स्थित 01 अदद दो मंजिला मकान (अभियुक्त अड्डन)
- मो.आजादनगर स्थित 01 अदद मकान, हाता काजीटोला (अभियुक्त मो.मोबीन)
- मो.आजादनगर स्थित 01 अदद मकान (अभियुक्त नूरआलम)
- मो.आजादनगर स्थित 01 अदद मकान (अभियुक्त शादाब)

थाना तंबौर क्षेत्रांतर्गत उक्त कुल 04 अदद मकान जिनकी अनुमानित कीमत 37,19,000/- (सैंतीस लाख उन्नीस हजार रुपये) आंकी गयी है।

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण उपरोक्त –

1. मु0अ0सं0 146/18 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना तंबौर जनपद सीतापुर।
2. मु0अ0सं0 234/18 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना तंबौर जनपद सीतापुर।
3. मु0अ0सं0 297/19 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना तंबौर जनपद सीतापुर।
4. मु0अ0सं0 332/19 धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना तंबौर जनपद सीतापुर।
5. मु0अ0सं0 386/2019 धारा 2(b)(XV)/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना तंबौर जनपद सीतापुर।

2022.10.29 15:45